



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

CF
5/2/85

सं० 165] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 10, 1985/चैत्र 20, 1907
No. 165] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 10, 1985/CHAITRA 20, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 1985

सा. का. नि. 353(अ) :—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास आधानयम,
1963 (1963 का 38) की धारा 3, उपधारा (1) और (6) के साथ पठित धारा
10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए काण्डला पोर्ट के न्यासी मंडल में
गुजरात चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के प्रतिनिधि के रूप में श्री नलिनभाई
के. पटेल के स्थान पर श्री जहांगीर आर जे कामा को न्यासी नियुक्त करती है और
भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं. सा.

का. नि. 242(अ) दिनांक 30 मार्च, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 16 के आगे “श्री नलिनभाई के. पटेल” के स्थान पर “श्री जहागीर आर. जे. कामा” रहेंगे ।

[फा. सं. पी. डब्ल्यू./पी.टी.बी.-25/83]

योगेन्द्र नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 1985

G.S.R. 353(E).—In exercise of the powers conferred by section 10, read with sub-section (1) and (6) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri Jehangir R. J. Cama, a Trustee on the Board of Trustees of the Port of Kandla to represent the Gujarat Chamber of Commerce and Industry vice Shri Nalinbhai K. Patel, and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 242(E), dated the 30th March, 1984, namely :—

In the said notification, in the entry against Serial Number 16, for the words and letters “Shri Nalinbhai K. Patel” the words and letters “Shri Jehangir R. J. Cama” shall be substituted.

[F. No. PW/PTB-25/83]

YOGENDRA NARAIN, Jt. Secy.